

आरोप पत्रित सरकारी सेवकों की सूची, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झारखण्ड, राँची।

माह जून-2018

क्र० सं०	काण्ड संख्या एवं तिथि	संबंधित विभाग	अभियुक्तों के नाम एवं पद
	1	2	3
1	भ०नि० ब्यूरो, पलामू थाना कांड सं०-07/18 दिनांक-05.04.18, धारा-07/13(2) सह पठित धारा-13(1)(डी०) भ०नि० अधि०-1988	सिंचाई विभाग टैप केस। 3,000/-	श्री टुनटुन कुमार उपाध्याय, पिता-स्व० व्यास उपाध्याय, ग्राम-सिसई, पो०-बरौली, थाना-बरौली, जिला-गोपालगंज, वर्तमान सहायक विशेष भू-अर्जन कार्यालय, मेदिनीनगर, जिला-पलामू। आरोप पत्र सं०-09/18 दिनांक-02.06.18
2	भ०नि० ब्यूरो, हजारीबाग थाना कांड सं०-03/18 दिनांक-20.01.18, धारा-07/13(2) सह पठित धारा-13(1)(डी०) भ०नि० अधि०-1988	राजस्व विभाग टैप केस। 4,000/- (असफल)	मो० जियाउल हक, सर्वेयर (अमीन), मौजा गोड़वाली, पंचायत डुमरीकला, थाना-हंटरगंज प्रखंड हंटरगंज, जिला-चतरा। अंतिम प्रपत्र सं०-15/18 दिनांक-20.06.18 साक्ष्य की कमी समर्पित की गई है।
3	भ०नि० ब्यूरो, हजारीबाग थाना कांड सं०-05/18 दिनांक-22.02.18, धारा-07/13(2) सह पठित धारा-13(1)(डी०) भ०नि० अधि०-1988	पंचायती राज टैप केस। 3,000/-	श्री जगनाथ महतो, पिता-स्व० नन्दलाल महतो, सा०-चानों, थाना-विष्णुगढ़, जिला-हजारीबाग वर्तमान वार्ड सदस्य वार्ड नं०-04, चानों पंचायत, थाना-विष्णुगढ़, जिला-हजारीबाग। आरोप पत्र सं०-12/18 दिनांक-21.04.18
4	भ०नि० ब्यूरो, पलामू थाना कांड सं०-08/18 दिनांक-26.04.18, धारा-07/13(2) सह पठित धारा-13(1)(डी०) भ०नि० अधि०-1988	विद्युत विभाग टैप केस। 10,000/-	1. श्री दीपक गुप्ता, पिता-विजय कुमार गुप्ता, सा०-सतना, पो०-सतना सिंहपुर, थाना-सिंहपुर, जिला-सतना (मध्यप्रदेश) वर्तमान कनीय अभियन्ता विद्युत आपूर्ति प्रशाखा-01, डालटेनगंज शहर, जिला-पलामू। 2. निरंजन दुबे, पिता-सत्यनारायण दुबे, सा०-बसना, थाना-नावाबजार, जिला-पलामू, वर्तमान बिजली मिस्त्री संवर्गीण विकास एजेन्सी विद्युत विभाग, डालटेनगंज, जिला-पलामू। आरोप पत्र सं०-10/18 दिनांक-22.06.18
5	भ०नि० ब्यूरो, हजारीबाग थाना कांड सं०-07/18 दिनांक-23.04.18, धारा-07/13(2) सह	राजस्व विभाग टैप केस। 6,000/-	श्री राम कुमार मेहता, पिता-देवनारायण मेहता, सा०-कंडसार, सा०-कटकम सांडी, जिला-हजारीबाग, वर्तमान पंचायत सेवक,

	पठित धारा-13(1)(डी0) भ्र0नि0 अधि0-1988		हुटपा पंचायत, प्रखंड-सदर, जिला-हजारीबाग। आरोप पत्र सं0-10/18 दिनांक-22.06.18
6	भ्र0नि0 ब्यूरो, हजारीबाग थाना कांड सं0-28/17 दिनांक-05.08.17, धारा-420 भ्र0द0वि0, धारा-8/9 भ्र0नि0 अधि0-1988	यह कांड माननीय उच्च न्यायालय, झारखंड, रांची द्वारा दिनांक-17.04.17 को ए0बी0ए0 नम्बर-1625/17 में युगल ठाकुर बनाम झारखंड राज्य में पारित आदेश के आलोक में हजारीबाग बरकट्टा थाना कांड सं0-168/16 दिनांक-15.12.16 को स्थानान्तरित किया गया है, जिसमें प्राथमिकी अभियुक्त श्री युगल ठाकुर, प्रभारी प्राधानाध्यापक, उच्च विद्यालय, गंगपाचों, थाना-बरकट्टा, जिला-हजारीबाग के विरुद्ध जालसाजी के तहत मैट्रिक परीक्षा फार्म भरने हेतु निर्धारित शुक्ल से अंधिक रुपया लेने के आरोप में कांड दर्ज किया गया है।	श्री युगल ठाकुर, प्रभारी प्राधानाध्यापक, उच्च विद्यालय, गंगपाचों, थाना-बरकट्टा, जिला-हजारीबाग। अंतिम प्रपत्र सं0-17/18 दिनांक-28.06.18 साक्ष्य की कमी समर्पित की गई है।